

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
महोबा।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,

उ०प्र०, शिविर कार्यालय लखनऊ।

संख्या : 135/सी०आर०सी०/द्वि०मू०सू०/2012

दिनांक : १०.०७.२०१२

विषय : जनपद महोबा के स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत तीनों उप निबन्धक कार्यालयों से प्राप्त द्विवार्षिक मूल्यांकन प्रस्तावों को दिनांक 11.07.2012 से प्रभावी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 50(1-5)/टी०ए०सी०-102/शि०का०लख०/2012 दिनांक 11.04.2012 के द्वारा मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण दिनांक 30.06.2012 तक प्रभावी किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अनुक्रम में जनपद महोबा की भूमि का द्विवार्षिक पुनरीक्षित मूल्यांकन कराकर दरें निर्धारित कर ली गयी है तथा जिसे दिनांक 11.07.2012 से जनपद महोबा में प्रभावी कर दिया गया है।

कृपया अनुरोध है कि तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय

(डा० काजल)

जिलाधिकारी,

महोबा।

प्रतिलिपि : संलग्नक सहित निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. सचिव संस्थागत वित्त उ०प्र० शासन लखनऊ।
3. अपर सचिव एवं स्टाम्प आयुक्त राजस्व परिषद उ०प्र० इलाहाबाद।
4. आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बौदा।
5. उप आयुक्त स्टाम्प चित्रकूटधाम मण्डल बौदा।
6. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)महोबा/सहायक आयुक्त स्टाम्प महोबा।
7. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/उप निबन्धक जनपद महोबा को इस आशय से प्रेषित कि वे प्रभावी दिनांक से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. रीडर न्यायालय जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट महोबा/स्टाम्प लिपिक/मुख्य निबन्धन लिपिक कलेक्ट्रेट महोबा।

जिलाधिकारी

महोबा।

# कुलपहाड़ जनपद की जिलाधिकारी द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची) महोबा

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा के अन्तर्गत स्थित सम्पत्तियों हेतु प्रभावी द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची की निर्धारित न्यूनतम मूल्यांकन की दरें

प्रभावी दिनांक 10.7.2012

उप-निबन्धक  
लघुहास (महोबा)

तहसीलदार

जिलाधिकारी

महोबा

(1)

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत तहसील कुलपहाड़ जपद महोबा के अन्तर्गत स्थित सम्पत्तियों की द्विवार्षिक निर्धारित न्यूनतम मूल्यांकन दरें :-

दिनांक : 10-7-12 से प्रभावी, अलखंड (9)

जनपद महोबा की तहसील कुलपहाड़ में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रवार (श्रेणीवार) वर्गीकरण :-

नगरीय क्षेत्र :- नगर पंचायत कुलपहाड़ में सम्मिलित मोहल्ले एवं निम्नलिखित राजस्व ग्राम शामिल हैं :-

अर्धनगरीय क्षेत्र :- नगर पंचायत कुलपहाड़ में कोई अर्धनगरीय क्षेत्र नहीं है :-

तहसील कुलपहाड़ के समस्त ग्रामीण ग्रामों को दो भागों में विभाजित किया गया है :-

1. विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र
2. ग्रामीण क्षेत्र

### विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र


इसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्रामों को छोड़कर तहसील कुलपहाड़ के शेष ग्राम शामिल हैं जो निम्न प्रकार श्रेणीवार हैं :-

<u>श्रेणी 1 :-</u>	1. जैतपुर	2. अलीपुरा (पनवाड़ी)	3. देवगनपुरा	4. सैमलपुरा	5. पनवाड़ी		
<u>श्रेणी 2 :-</u>	1. लाड़पुर	2. बगरौनी	3. अतरपठठा	4. हैवतपुर ब्रह्मनान	5. अजनर	6. सुगिरा	
<u>श्रेणी 3 :-</u>	1. चमरुवा	2. छतेसर	3. अकौना	4. स्योड़ी	5. तेईया	6. बैदौ	
<u>श्रेणी 4 :-</u>	1. लौहरगाँव	2. मसूदपुरा	3. खमा	4. कोटरा	5. रणौलिया खुर्द	6. भरवारा	7. महोबाकंट
<u>श्रेणी 5 :-</u>	उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त विशिष्ट ग्राम के शेष राजस्व ग्राम।						



उप-निर्देशक

कुलपहाड़ (महोबा)



W

उपनिर्देशक, उद्देश्यक महाकौशलिक निवलपुत्र  
कुलपहाड़  
महोबा

महोबा जिले का  
निर्देशक  
महोबा

निर्देशक  
महोबा

(2)

विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम शामिल है :-

क्रम सं०	ग्राम का नाम	क्रम सं०	ग्राम का नाम	क्रम सं०	ग्राम का नाम
1.	अजमेर	19.	देवगनपुरा	37.	महुआ इटौरा
2.	अतरपठा	20.	दिदवारा	38.	मुढारी
3.	अलीपुरा (पनवाड़ी)	21.	द्वाली	39.	महोबकठ
4.	अकौना	22.	नकरा	40.	मगरौल खुर्द
5.	अकौनी	23.	पनवाड़ी	41.	मगरौल कलां
6.	इटौरा बुजुर्ग	24.	पठारी	42.	सैमलपुरा
7.	कैथोरा	25.	बेरी	43.	रगौलिया खुर्द
8.	कोटरा	26.	बेदो	44.	लमौरा
9.	खम्भा	27.	बम्हौरी खुर्द	45.	लौहरगांव
10.	गंज	28.	बछेछर खुर्द	46.	लड़पुर
11.	धिसाली	29.	बछेछर कलां	47.	सुगिरा
12.	चुरारी	30.	बम्हौरी कुर्मिन	48.	रगौडी
13.	चमरुआ	31.	बहादुरपुर कलां	49.	सौरा
14.	छलेसर	32.	बड़खेरा	50.	हैवतपुरा ब्रम्हनान
15.	जैतपुर	33.	बगरीनी		
16.	जगतपुर गड़िया	34.	भरवारा		
17.	टिकरिया (जैतपुर)	35.	मसूदपुरा		
18.	तेईया	36.	महुआ बांध		

ANSWER

उप-निबन्धक  
कुलपताइ (महोबा)उपजिलाधिकारी  
कुलपताइ

महोबा

अपर सहायक  
दस्तावेज  
महोबा

जिलाधिकारी

(3)


## ग्रामीण क्षेत्र


इसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र एवं विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्रामों को छोड़कर तहसील कुलपहाड़ के ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम शामिल हैं जो निम्न प्रकार श्रेणीवार हैं :-

- श्रेणी 1 :-** 1. अलीपुरा 2. अरघटमऊ 3. आरी 4. इन्द्रहटा 5. उदयपुरा 6. कनकुवा 7. किलडीवा 8. करहरा जॉंग 9. खैरोकला 10. खिरियाकला 11. गाड़ी 12. गुड़ा 13. घुटई 14. चौका 15. जखा 16. जैलवारा 17. तुराधुहार 18. थुरट 19. दुलारा 20. नगाराघाट 21. नगाराजॉंग 22. फदना 23. भिलौनी 24. मवईया 25. सैलाखालसा 26. सीगौन 27. सलैयामाफ 28. स्यावन 29. हैवतपुरा खगारन 30. बुधवारा 31. बघौरा

- श्रेणी 2 :-** 1. अमानपुरा 2. उमरई 3. कुनाटा 4. कमालपुरा 5. खंजर 6. खैरिया 7. गोविन्दपुरा 8. घटैया 9. चमर्रा 10. छितरवारा 11. टोलापॉतर 12. तेलीपहाड़ी 13. थलीरा 14. दादरी 15. धवर्ग 16. ननवारा 17. परापॉतर 18. पहाड़पुरा 19. पराउवासी 20. पसानावाद 21. पुरवा जैतपुर

- श्रेणी 3 :-** 1. ब्यारजो 2. बगावाहा 3. बौरा 4. भगौरी 5. भदरवारा 6. मगरिया 7. रूरीकला 8. रूरीखुर्द 9. रगौली 10. रावतपुराखुर्द 11. रावतपुरा खालसा 12. लोधीपुरा 13. सलैया खलसा 14. सैटवारा 15. सिरमौर 16. शेरागढ़ 17. सतासी
- श्रेणी 4 :-** उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के शेष राजस्व ग्राम।

  
उप-निबन्धक  
कुलपहाड़ (भदोवा)

  
तहसीलदार  
कुलपहाड़

उपजिलाधिकारी  
कुलपहाड़

सहायक तहसीलदार  
भदोवा

जिलाधिकारी  
भदोवा

जिलाधिकारी  
भदोवा

जिलाधिकारी  
भदोवा

## नगरीय क्षेत्र में शामिल कृषि भूमि की निर्धारित दरें


1. नगर पंचायत कुलपहाड की सीमान्तगत शामिल वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रांतीय मार्ग, जनपदीय मार्ग / लिंकमार्ग / पक्की सड़क / डामर / खडंगा / चकमार्ग / अन्य मार्ग पर स्थित है, की निर्धारित दरें (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रांतीय राजमार्ग	जनपदीय मार्ग	लिंकमार्ग / पक्की सड़क / डामर / खडंगा	चकमार्ग / अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रांतीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रांतीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित / लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
0.101 हेक्टेयर तक	40,00,000	35,00,000	34,50,000	33,50,000	31,25,000
0.101 हेक्टेयर से अधिक	20,00,000	18,00,000	17,25,000	13,50,000	12,50,000

2. नगर पंचायत कुलपहाड की सीमा से बाहर मौजा कुलपहाड में स्थित वह कृषि भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रांतीय राजमार्ग, जनपदीय राजमार्ग, लिंकमार्ग / पक्की सड़क / डामर / खडंगा / चकमार्ग / अन्य पर स्थित है, की निर्धारित दरें (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रांतीय राजमार्ग	जनपदीय मार्ग	लिंकमार्ग / पक्की सड़क / डामर / खडंगा	चकमार्ग / अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रांतीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रांतीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित / लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
0.101 हेक्टेयर तक	35,00,000	30,00,000	29,00,000	28,00,000	27,00,000
0.101 हेक्टेयर से अधिक	18,50,000	18,00,000	17,00,000	6,50,000	5,90,000

अप-निर्देशक  
कुलपहाड (महोत्तर)

  
 सहस्रीलदार उपजिलाधिकारी  
 कलपहाड  
 कलपहाड  
 महोत्तर

पर प्रमाणित  
 जिलाधिकारी

(5)

**विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (1)**

1. विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणी 1 के अन्तर्गत स्थित वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा/चकमार्ग/अन्य मार्ग पर स्थित है, की निर्धारित दरें (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा	चकमार्ग/अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
0.101 हेक्टेयर तक	19,00,000	17,50,000	16,50,000	16,00,000	15,70,000
0.101 हेक्टेयर से अधिक	13,00,000	12,00,000	11,50,000	6,00,000	5,00,000

**विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (2)**

2. विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणी 2 के अन्तर्गत स्थित वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा/चकमार्ग/अन्य मार्ग पर स्थित है, की निर्धारित दरें (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा	चकमार्ग/अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
0.101 हेक्टेयर तक	18,50,000	17,00,000	16,50,000	16,00,000	15,50,000
0.101 हेक्टेयर से अधिक	12,00,000	11,00,000	10,50,000	5,70,000	4,90,000

उप-निबन्धक  
कुलपहाड़ (प्रहोना)

तहसीलदार

राजस्थान विश्वविद्यालय

परिचालक

विभागाध्यक्ष

विभागाध्यक्ष

(6)

### विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (3)

3. विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणी 3 के अन्तर्गत स्थित वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा/चकमार्ग/अन्य मार्ग पर स्थित है, की निर्धारित दरें (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा	चकमार्ग/अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
0.101 हेक्टेयर तक	18,00,000	16,50,000	16,00,000	15,50,000	15,00,000
0.101 हेक्टेयर से अधिक	11,00,000	10,00,000	9,50,000	5,50,000	4,80,000

### विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (4)

4. विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणी 4 के अन्तर्गत स्थित वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा/चकमार्ग/अन्य मार्ग पर स्थित है, की निर्धारित दरें (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा	चकमार्ग/अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
0.101 हेक्टेयर तक	17,50,000	16,00,000	15,50,000	15,00,000	14,50,000
0.101 हेक्टेयर से अधिक	10,00,000	9,50,000	9,20,000	5,30,000	4,70,000

उप-निबन्धक  
कुलपति (ग्रामीण)

14

सहायक महाविद्यालय निबन्धक

निराधिकाशी



विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (5)

5. विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र के शेष राजस्व ग्राम (श्रेणी 5) के अन्तर्गत स्थित वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा/चकमार्ग/अन्य मार्ग पर स्थित है, की निर्धारित दरें (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा	चकमार्ग/अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
0.101 हेक्टेयर तक	17,00,000	15,50,000	15,20,000	15,00,000	14,50,000
0.101 हेक्टेयर से अधिक	9,50,000	9,00,000	8,80,000	5,20,000	4,50,000

ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (1)

1. ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणी 1 के अन्तर्गत स्थित वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा/चकमार्ग/अन्य मार्ग पर स्थित है, की निर्धारित दरें (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा	चकमार्ग/अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
0.101 हेक्टेयर तक	11,00,000	9,50,000	9,20,000	9,00,000	8,80,000
0.101 हेक्टेयर से अधिक	8,25,000	7,00,000	6,80,000	4,80,000	4,00,000

उप-निबन्धक  
कुलपहाड़ (अहोबा)

तहसील विकास अधिकारी

महोबा

परिक्षेत्र प्रकाश  
विश्व/प्रकाश

विश्व/प्रकाश  
विश्व/प्रकाश

(8)

ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (2)

2. ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणी 2 के अन्तर्गत स्थित वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा/चकमार्ग/अन्य मार्ग पर स्थित है, की निर्धारित दरें (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा	चकमार्ग/अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
0.101 हेक्टेयर तक	10,50,000	9,00,000	8,80,000	8,40,000	8,00,000
0.101 हेक्टेयर से अधिक	8,00,000	6,75,000	6,50,000	4,70,000	3,90,000

ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (3)

3. ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणी 3 के अन्तर्गत स्थित वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा/चकमार्ग/अन्य मार्ग पर स्थित है, की निर्धारित दरें (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा	चकमार्ग/अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
0.101 हेक्टेयर तक	10,25,000	8,75,000	8,50,000	8,10,000	7,80,000
0.101 हेक्टेयर से अधिक	7,75,000	6,50,000	6,30,000	4,60,000	3,80,000

श्री सुशोभा

उप-निदेशक

तृतीय श्रेणी (अधीन)

तहसील अधिकारी

जिला अधिकारी

कलकत्ता

ग्रामीण

विशेष अधिकारी

जिला अधिकारी

(9)

ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी (4)

4. ग्रामीण क्षेत्र के शेष राजस्व ग्राम (श्रेणी 4) के अन्तर्गत स्थित वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय राजमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा/चकमार्ग/अन्य मार्ग पर स्थित है, की निर्धारित दरें (प्रति 10 हे 0 में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग	जनपदीय मार्ग	लिकमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खडजा	चकमार्ग/अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी0 तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी0 के बाद स्थित/लिकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
0.101 हेक्टर तक	10,00,000	8,50,000	8,25,000	8,00,000	7,50,000
0.101 हेक्टर से अधिक	7,50,000	6,25,000	6,00,000	4,50,000	3,70,000

*Prasanna*

**उप-निबन्धक**  
**कुलपति (प्रशासन)**

*Prasanna*

सहायक कुलपति (प्रशासन)

*Prasanna*

सहायक कुलपति (प्रशासन)

*Prasanna*

### कृषि भूमि के मूल्यांकन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

1. नगर पालिका सीमा व टाउन एरिया की सीमा के अन्दर/बाहर स्थित होने का प्रमाणपत्र सड़क व आबादी से दूरी, सड़क का नाम एवं उसका प्रकार तथा कृषि भूमि की श्रेणी, सम्बन्धित खसरा नम्बर अधिग्रहण में है अथवा नहीं का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया जायेगा तथा जिन ग्रामों में चकबन्दी चल रही हो उनके प्रमाणपत्र चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।
2. यदि एक लेखपत्र में एक से अधिक गाटा संख्याओं में स्थित भूमि का अन्तरण होता है तो मूल्यांकन हेतु प्रत्येक गाटा संख्या में स्थित रकबे को अलग-2 मानते हुए अवस्थित के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
3. यदि विकीत कृषि भूमि बाजार/बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन/कारखानों/शैक्षिक संस्थाओं/अस्पतालों/सरकारी कार्यालयों एवं आबादी से 100 मीटर तक परिधि में स्थित है तो उस कृषि भूमि के निर्धारित दर में 35% तथा 100 मीटर के बाद एवं 200 मीटर तक की परिधि में कृषि भूमि स्थित है तो निर्धारित दर में 25% की वृद्धि करते हुए मूल्यांकन किया जायेगा।
4. यदि किसी विकीत भूमि में पक्का कुवों है तो कुवों की मालियत 80,000/- रु0 आंकी जायेगी तथा टयूब वेल की मालियत 2,20,000/- रु0 आंकी जायेगी।
5. पेड़ों का मूल्यांकन वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के निर्धारित दरों से किया जायेगा।
6. कृषि भूमि के बैनामों में विकीत भूमि की 200 मी0 की परिधि में स्थित परिसम्पत्तियों का नजरी नक्शा प्रत्येक लेखपत्र के साथ सलगन किया जायेगा।
7. नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि के विक्रय पर भूमि का फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
8. जिन ग्रामों में चकबन्दी चल रही है, के अन्तर्गत एक से अधिक गाटा संख्याओं के विक्रय की स्थिति में यदि वह एक दूसरे से मिले हुये हो और उनसे एक चक बन रहा हो तो उन्हें एक गाटा मानते हुये मूल्यांकन किया जायेगा।
9. जनपद महोबा की सड़क किनारे (दोनों ओर) स्थित खसरा नम्बरानों तथा आबादी से 200 मी0 त्रिज्या के अन्दर स्थित खसरा नम्बरानों की सूची संलग्न है।
10. प्रान्तीय मार्ग से आशय उस मार्ग से है जो कम से कम दो या अधिक जनपदों से गुजरता है तथा जनपदीय मार्ग व आशय है जो सिर्फ तहसील को जनपद से जोड़ता है।
11. सड़क पर स्थित गाटे का तात्पर्य सम्पूर्ण गाटे से हैं।
12. मुख्य सड़क से गाँव को जोड़ने वाली सड़क या गाँव को गाँव से जोड़ने वाली सड़क को चाहे वह कच्ची हो या पक्की लिंक मार्ग माना जायेगा।
13. सड़क से 200 मी0 तक के अन्दर की दूरी सड़क से सटे गाटा संख्या को छोड़कर लागू होगी। सड़क से सटे गाटा नम्बर पर सड़क की ही निर्धारित दूरी लागू होगी।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन

महोबा

अधीनस्थ अधिकारी

नगर निरीक्षण विभाग

नगर निरीक्षण विभाग

नगर निरीक्षण विभाग

नगर पंचायत कुलपहाड़ की आवासीय भूमि / भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराये की दरें (प्रति वर्गमी० में)  
(11)  
रिमोण्ट प्रथम

क्रम सं०	सड़क का नाम	भूमि की निर्धारित दरें		वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराये की दर प्रति वर्गमीटर
		मुख्य मार्ग पर मध्य सड़क से दोनों ओर 25 मीटर तक	मुख्य मार्ग पर मध्य सड़क से दोनों ओर 25 मीटर के बाद गली में	
1.	महोबा से राठ रोड पर महर्षि पेट्रोल पम्प से गोदी चौराहा तक	5500	3500	120
2.	महोबा से राठ रोड पर गोदी चौराहा के बाद से सन्तोष कुमार पालीवाल के मकान तक	6500	4500	120
3.	राठ महोबा रोड पर सन्तोष कुमार पालीवाल के मकान से राठ की ओर नहर की पुलिया तक	4500	3000	100
4.	कुलपहाड़ नौगांव रोड पर गोदी चौराहा से तहसील तक	4500	3000	100
5.	कुलपहाड़ नौगांव रोड पर तहसील से निशान स्कूल तक	3000	2500	80
6.	कुलपहाड़ नौगांव रोड पर निशान स्कूल से मुढारी मोड़ तक	2500	2000	80
7.	डा. किशोरी लाल सोनी के अन्ततल से महर्षि सिंह परिहार के मकान तक आर.सी.सी. रोड के दोनों ओर	7500	5500	120
8.	बस स्टैंड से भारतीय स्टेट बैंक तक आर.सी.सी. रोड के दोनों ओर	7500	4500	120
9.	छिदरू साहू की दुकान से डा. कमलेश कुमार सक्सेना के अस्पताल तक आर.सी.सी. रोड के दोनों ओर	7500	4500	120
10.	नगरीय क्षेत्र में स्थित उक्त स्थानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सी०सी० रोड के दोनों ओर	4000	3500	80
11.	कुलपहाड़ नगर क्षेत्र सीमा से बाहर	2500	2000	70

*Signature*

उप-निबन्धक  
कुलपहाड़ (महोबा)

*Signature*

नगर पंचायत कुलपहाड़, महोबा

महोबा

नगर पंचायत कुलपहाड़, महोबा

नगर पंचायत कुलपहाड़, महोबा

**विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र - पनवाड़ी, अलीपुरा पनवाड़ी, देवगनपुरा एवं रेमलपुरा**

(12)

**सिमेंट प्रथम**

सड़क का नाम	भूमि की विधरित दरें		वाणिज्यिक भवन की विधरित मासिक किराये की दर प्रति वर्गमीटर
	मुख्य मार्ग पर मध्य सड़क से दोनों ओर 25मीटर तक	मुख्य मार्ग पर मध्य सड़क से दोनों ओर 25 मीटर के बाद वाली में	
होबा राट रोड पर सिनेमाघर वाले पुल से हरपालपुर तिराहे के आगे यापार कर बैरियर तक	7500	5500	120
होबा राट रोड पर व्यापार कर बैरियर के आगे से राट की तरफ भाकर पेट्रोल पम्प तक	6500	4000	100
भाकर पेट्रोल पम्प से आगे राट रोड पर स्थित ढाबा तक	4000	3000	100
राट हरपालपुर रोड पर हरपालपुर तिराहे से ब्लाक तक एवं ब्लाक जार्यालय से राट महोबा मार्ग संपर्क मार्ग राट रोड तक	6500	5000	100
जमलापति मिश्रा की टुकान से 100 मीटर नहान के अस्पताल तक	7500	5500	100
जाम रसूल की टुकान से 100डबलूडी रोस्ट हाऊस तक	7500	6000	100
होबा राट रोड पर सिनेमाघर वाले पुल से महोबा रोड के मोड़ तक	5500	4000	100
प्रोसर- महोबा राट रोड पर सड़क के दोनों ओर	3000	2000	60
हान मार्केट से जल्हा रोड तक	3500	3000	80
डा मन्दिर की पुलिया से लठीराम भास्टर के मकान तक	3000	2000	60
न्दना रोड पर 1 किमी0 तक कुलपहाड़ से हरपालपुर मुख्यमार्ग तिराहे से 25 मी0 दोनों ओर छोड़कर	6000	4000	100
नवाड़ी मसूदपुरा रोड पर दोनों ओर लोधीपुरा मोड़ तक व पनवाड़ी राक के आगे बैदो मोड़ तक गहरा सड़क तक	3500	3000	60
नवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग से नेहरू इण्टर कालेज रोड पर	3500	3000	80
वत स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर सी0सी0 रोड पर स्थित	3000	2500	50

254

सदक (महोबा)

तहसीलदार कुलपहाड़

अपरिभाषित अधिकार कलपुआर कक्षाधिकार प्रशासकीयक विभाग

सदर निर्देशिका विभाग/राजस्व

जिलाधिकारी महोबा

**(13)**  
**विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र - जैतपुर**  
**सिमेंटस प्रथम**

क्रम सं०	सड़क का नाम	शुल्क की निर्धारित दरें		वाणिज्यिक मवन की निर्धारित मासिक किराये की दर प्रति वर्गमीटर
		मुख्य मार्ग पर मध्य सड़क से दोनों ओर 25मीटर तक	मुख्य मार्ग पर मध्य सड़क से दोनों ओर 25 मीटर के बाद गली में	
1.	कुलपहाड नौगांव रोड पर चौरसिया के मकान के आगे से श्रीनगर जैतपुर मार्ग तक व आगे पेटोल पम्प तक	7500	6000	120
2.	सुल्तरे की टुकान से आंदर सब्जी मण्डी तक	7500	5000	120
3.	जैतपुर में गंगाराम मठ से शील प्रसाद राजपूत से नौगांव कुलपहाड सड़क सीमा तक	6000	4000	120
4.	जैतपुर रोड से स्टेशन रोड पर बार्डपास तक	4500	3500	100
5.	जैतपुर बार्डपास रोड पर	4500	3500	100
6.	जैतपुर- मुहल्ला घुसियाना से मुहल्ला खटिकयाना तक फकीरे सेठ के मकान तक	2500	2000	60
7.	बजरिया- फकीरे सेठ के मकान से चमन चौराहा तक	3000	2500	60
8.	मुहल्ला बाजार- चमन चौराहा से पेट्रोल पम्प तक	7500	6000	120
9.	करावकान्त दीक्षित के नकान से रावत जालोनी होते हुये ब्रह्मदल तक	6000	5000	100
10.	पेटोल पम्प से आबकारी चौकी तक	5000	4000	100
11.	गंगाराम चौराहे से कृषि विज्ञान केन्द्र होते हुये रेलवे स्टेशन तक	3000	2500	100
12.	चमन चौराहे से गांधी आश्रम होते हुये मेला ग्राउण्ड तक	4000	3500	80
13.	मेला ग्राउण्ड से राजकीय इण्टर कालेज तक	2500	2000	50
14.	राजकीय इण्टर कालेज से मेन रोड ड्योडीपुरा तक	3000	2500	60
15.	सब्जी मण्डी से नयापुरा तक	2500	2000	60

*(Handwritten signature)*

**उप-निबन्धक**  
**कुलपहाड (महोदय)**

*(Handwritten signature)*  
**राजलगाधिकारी**

**विशेष निदेश**  
**पंचायत समिति**  
**जैतपुर**

**(14)**  
**विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र - जैतपुर**  
**सिमेंटस प्रथम**

क्रम सं०	सड़क का नाम	गृह की निर्धारित दरें		वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराये की दर प्रति वर्गमीटर
		मुख्य मार्ग पर मध्य सड़क से दोनों ओर 25 मीटर तक	मुख्य मार्ग पर मध्य सड़क से दोनों ओर 25 मीटर के बाद गली में	
16.	विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र नयापुरा जैतपुर में स्थित उक्त स्थानों के अतिरिक्त अन्य किसी क्षेत्र स्थान पर	2200	2000	60
17.	रतव स्टेशन जैतपुर से थुरट सीमा तक	2500	2200	60
18.	जैतपुर श्रीनगर रोड पर राजीपुरा सीमा तक मुख्य सड़क से 25 मी० छोड़कर	2500	2200	60
19.	कुलपहाड़ नौगाव रोड पर जैतपुर की सीमा से मुढारी रोड तक	3000	2500	60
20.	विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र खरकीपुर जैतपुर में स्थित उक्त स्थानों के अतिरिक्त अन्य किसी क्षेत्र स्थान पर	2500	2200	60

विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र में शामिल ग्रामों में स्थित आवासीय भूमि/भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराये की दरें (प्रति वर्गमी० में)

क्रम सं०	विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र	सड़क से 10 मीटर बाद से 50 मीटर तक प्रतिवर्ग मी०	सड़क से 50 मीटर बाद प्रति वर्गमी०	मासिक किराया
1.	मूल्यांकन सूची में उल्लिखित विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र पनवाड़ी एवं जैतपुर ग्रामीण क्षेत्र में शामिल ग्रामों में स्थित आवासीय भूमि/भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराये की दरें (प्रति वर्गमी० में)	2000	1500	60
कम सं०	ग्रामीण क्षेत्र	सड़क से 10 मीटर बाद से 50 मीटर तक	सड़क से 50 मीटर बाद	किराया
1.	नगरिय एवं विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र में शामिल ग्रामों को छोड़कर शेष ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी	4500	1000	60

कुलपहाड़ (प्रदेशीय)  
**रुद्र - निवन्धक**

*(Handwritten Signature)*  
**तहसीलदार**  
**उपजिलाधिकारी**

कुलपहाड़  
**कुलपहाड़**  
**प्रभोदा**

*(Handwritten Signature)*  
**रबर डिप्टी कमिश्नर**  
**किराये/भवन**  
**जिलाधिकारी**



(15)  
निर्माण दरे

आवासीय भवनों के निर्माण मूल्य के लिए निर्धारित दरे निम्न प्रकार है :-

1. आर0 सी0सी0 / आर0 बी0सी0 / पथर पटिया की छत का निर्माण दरे कमशः 8000 / 7000 / 6000 प्रति वर्ग मीटर, टीनशेड / एरबेट्स की छत का निर्माण दरे 4000 / - प्रति वर्ग मीटर, खपरेल, धन्नी छानछप्पर का निर्माण दरे 3000 / - प्रति वर्ग मीटर।
2. यदि कोई आवासीय भवन निर्माण तिथि से 20 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है, जो उस पर हास मूल्य अनुमन्य होगा तथा भवन के हास मूल्य आगणन हेतु सूत्र निम्न प्रकार है:-
- 3.

$$\text{निर्माण का कुल मूल्य} = \text{आच्छादित क्षेत्रफल} \times \text{निर्धारित दरे}$$

$$\text{मूल्य हास} = \frac{\text{निर्माण का मूल्य} \times \text{भवन की वास्तविक आयु}}{\text{भवन की कुल आयु} \times 10} \times 9$$

स्टाम्प देयता हेतु निर्माण का मूल्य = निर्माण का मूल्य - मूल्य हास

- (1) भवन की कुल आयु वर्गीकरण के आधार पर आंकी गयी है।  
आर0सी0सी0 छत की निर्माण का भवन की कुल आयु - 80 वर्ष
- (2) आर0बी0सी0 छत की निर्माण का भवन की कुल आयु - 60 वर्ष
- (3) टीन शैड एजवेस्ट्स दार धन्नी निर्माण की कुल आयु - 50 वर्ष

निर्माण के स्कैप मूल्य निर्माण के कुल मूल्य के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। मूल्य हास के लिये विकेता को नोटरी शपथ पत्र के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अप-निबन्धक  
कुलपदास (महोबा)

अप-निबन्धक  
अप-निबन्धक  
कुलपदास

अप-निबन्धक  
महोबा

पर जिलाधिकारी  
जिलाधिकारी  
महोबा

**(16)**  
**आवश्यक निर्देश**

1. यदि लेखपत्र में ऐसी भूमि का अन्तर्ण होता है जहाँ कोई मुहल्ला कायम नहीं है तो सबसे नजदीक मोहल्ले का नाम लेखपत्र में लिखा जायेगा और उस भूमि का मूल्यांकन उस मुहल्ले के लिए निर्धारित दर से आंगणित होगा।
2. रेट लिस्ट में प्रदर्शित मासिक किराये की दर भूमि तल (ग्राउन्ड फ्लोर) के लिए निर्धारित है। यदि वाणिज्यिक भवन प्रथम तल/द्वितीय तल या बेसमेंट में स्थित है तो उक्त किराये की दर में 25 प्रतिशत की कमी कर मूल्यांकन किया जायेगा।
3. (I) यदि प्लॉट/मकान/वाणिज्यिक भवन दो रास्ते पर स्थित है तो उस सम्पत्ति के मूल्यांकन में 10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की जायेगी।  
(II) विशिष्ट सिग्नेज/सिग्नेज प्रथम में स्थित सम्पत्ति को छोड़कर शेष क्षेत्रों में स्थित सम्पत्ति (प्लॉट एवं आवासीय मकान) की चौहददी में कोई वाणिज्यिक भवन/बसस्टैंड/रेलवे स्टेशन/कारखाने/शैक्षिक संस्थाओं/अस्पतालों/सरकारी कार्यालयों/आदि स्थित है तो उक्त सम्पत्ति के मूल्यांकन में 10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की जायेगी।
4. उपरोक्त (I) व (II) दोनों स्थितियों विद्यमान होने की दशा में सम्पत्ति के मूल्यांकन में 20 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की जायेगी। यदि कोई सम्पत्ति दो मार्गों पर स्थित है तो उच्चतर दर मान्य होगी।
5. प्रत्येक अन्तर्ण विलेख में पक्षकारों द्वारा सम्पत्ति का नजरी नक्शा संलग्न किया जायेगा तथा बाजारी मूल्य को प्रभावित करने वाले समस्त तथ्यों का आंकन सत्यतापूर्वक एवं सम्पूर्णा पूर्वक किया जाना अनिवार्य है। सिग्मेन्ट पर स्थित सम्पत्ति पर उस सिग्मेन्ट के निर्धारित दर के अनुसार ही मूल्यांकन किया जायेगा।
6. ईट भट्टों के सम्बन्ध में बैनामा भिट्टी मानते हुये भिट्टी का मूल्य 15/- रु0 प्रति घनाकित होगा।
7. नगरीय क्षेत्र के कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक बैनामो में पोस्टकार्ड साइज का फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. प्लान्ट एवं मशीनरी का मूल्यांकन "जिला उद्योग केन्द्र" द्वारा किया जायेगा।
9. लेखपत्र में कृषि भूमि से इतर विक्रीत सम्पत्ति के मोहल्ले का नाम एवं उसकी चौहददी में स्थित सड़क का नाम (कहाँ से कहीं तक) उल्लिखित करना अनिवार्य होगा।

*(Handwritten signature)*  
**उषा निवास महाशिवरात्रि**  
**कूलपहाड़ा महोबा जिला**  
**महोबा जिला**

**सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,**  
**महोबा**  
**महोबा**

**अपर निरीक्षक (वि०/रा०),**  
**महोबा**  
**महोबा**

**जिलाधिकारी,**  
**महोबा**

(17)

6

**चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बाँदा के लिए वृक्षों के मूल्य दर अनुसूची**  
(दिनांक 04.05.2012 से प्रभावी)

क्र० सं०	प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग (डिमी मी० में)								
		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6 से ऊपर		
1	आम्रस (आम्रसाल)	36.00	92.00	406.00	1478.00	4399.00	7318.00	10256.00		
2	श्रीशाम (श्रीशाल)	18.00	92.00	406.00	1219.00	2039.00	4399.00	7318.00		
3	अमना (सिंघ) हरदू (कदम) कादन, पोखर, जामुन, महुआ, आम, सिरस, नीम	18.00	56.00	314.00	721.00	2328.00	2939.00	4435.00		
4	श्री, करधर, अमलतास, गारकी, बरु, अमिद्ध (सेजा)	18.00	56.00	92.00	185.00	462.00	776.00	1219.00		
5	शेर	18.00	92.00	370.00	1478.00	2199.00	3660.00	4269.00		
6	सोमल	18.00	56.00	92.00	462.00	906.00	1478.00	1830.00		
7	कन्चू (निहाबिल)	18.00	56.00	148.00	462.00	906.00	1275.00	1719.00		
8	सलाई	18.00	36.00	148.00	277.00	518.00	776.00	1016.00		
9	गोशिया (गोपदुस)	18.00	36.00	92.00	462.00	906.00	1350.00	1719.00		
10	विशिष्ट	18.00	36.00	92.00	148.00	314.00	610.00	906.00		
क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग (सेमी० में)								
		0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40 से ऊपर
11	दुकलिष्ट	10.00	18.00	56.00	111.00	185.00	295.00	406.00	591.00	832.00
12	बांस	₹ 406.00 प्रति सैकड़ा								
13	कोशिया	₹ 1219.00 प्रति सैकड़ा								
14	गारकी	(क) ₹ 148.00 प्रति कुत्तल								
		(ख) ₹ 412.00 प्रति बेलगाड़ी								
		(ग) ₹ 129.00 प्रति खच्चर/घाड़ा								
		(घ) ₹ 36.00 प्रति सरबोझ								
15	हासत-पत्ती का पत्ती हनु-	₹ 40.00 प्रति वृक्ष								

नोट-

- उपरोक्त दरें हरे खड़े या उखड़े योग्य वृक्षों के लिये लागू होंगी।
- योग्य वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों की 75 प्रतिशत होंगी।
- अयोग्य वृक्षों के लिए दरें उपरोक्त दरों का 50 प्रतिशत होंगी।
- उपरोक्त क्रम सं०-1, 2, 3 कंवल गोपनीय अनुमान बनाने हेतु लागू होंगी। अवैध कटान की दशा में वृक्ष का पूर्ण मूल्य लिया जायेगा।

उप-निबंधक  
कुलपहाड़ (महोबा)

तहसीलदार  
कुलपहाड़

उपजिलाधिकारी  
कुलपहाड़

(बी०के० घोषडा)

वन संरक्षक

चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा

जिलाधिकारी  
महोबा

## तहसील-कुलपहाड़ के ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामों की सूची

क्र०सं०	नाम ग्राम	क्र०सं०	नाम ग्राम	क्र०सं०	नाम ग्राम	क्र०सं०	नाम ग्राम
1	अण्डवारा	31	कर्री जदीद	61	चपका	91	धवार
2	अमानपुरा	32	कमालपुरा	62	चमर्वा	92	धवर्वा
3	अलीपुरा	33	करहराडांग	63	चारुवां	93	नगाराघाट
4	अहरौरा	34	कुड़ई	64	चौका	94	नटर्वा
5	अमरपुरा	35	कुटरा	65	छॉछरी	95	निवौरा
6	अरघटमऊ	36	खंगर्वा	66	छितरवारा	96	निसवारा
7	आरी	37	खिरियाबुजुर्ग	67	जखा	97	नेकपुरा
8	अतनियामाफ	38	खेड़ानानकारी	68	जगपुराबुजुर्ग	98	नैपुरा
9	इटवां	39	खैरोकलां	69	जमाला	99	नीनका
10	इमिलिया	40	खिरियाकलां	70	जाखी	100	नौगाँव
11	इंदौरा	41	खैररिया	71	जगपुराखुर्द	101	नगाराडांग
12	इन्द्रहटां	42	खौनरिया	72	जैलवारा	102	नरवारा
13	उमरई	43	खिरियाखुर्द	73	जटेवरा	103	ननवारा
14	उल्दन	44	खिरियाजदीद	74	टगरिया	104	पठारीकदीम
15	उदयपुरा	45	खोई	75	टिकरिया	105	पडरिया
16	कजरीवार	46	गड़ौरा	76	टिंगुरा	106	पनारा
17	कनकुवां	47	गरौली	77	टुण्डर	107	परापांतर
18	कनौरा	48	गहलौद	78	टोलापांतर	108	पहाड़पुरा
19	कमाला	49	गाड़ौ	79	टिकरिया पन०	109	पहाड़िया
20	करहराखुर्दखैरौं	50	गुगौरा	80	तुरामुहार	110	पिपरी
21	करीमवार	51	गौनगुढा	81	तेलीपहाड़ी	111	पुट्टा
22	कसारी	52	गोविन्दपुरा	82	ठठेवरा	112	पृथ्वीपुरा
23	काशीपुर	53	गहपुरा	83	थलौरा	113	पंचारा
24	किल्हौवा	54	गुण्ड	84	थुरट	114	ग्राउवारी
25	कुनाटा	55	गुढा	85	दादरी	115	पसानावाद
26	कुंआखेरौं	56	घटेरा	86	दिदौरा	116	पठारीनौ आबाद
27	कोहनियां	57	घुटई	87	दिनई	117	पुरैनियां
28	कौनियां	58	घुरवास मऊ	88	दुलारा	118	पुरवा जैतपुर
29	काँटी	59	घंघौरा	89	देवगांव	119	पुरवा पनवाड़ी
30	कर्रा	60	चन्दनहास	90	धरवार	120	फदना

उप-निबन्धक  
कुलपहाड़ (महोबा)

तहसीलदार  
कुलपहाड़

महोबा  
जिलाधिकारी  
महोबा

क्र०सं०	नाम ग्राम	क्र०सं०	नाम ग्राम	क्र०सं०	नाम ग्राम	क्र०सं०	नाम ग्राम
121	वरानो	151	भगौरी	181	रैपुराकलां	211	सगुनियामाफ
122	वरेण्डाबुजुर्ग	152	भड़वारा	182	रजपुरा	212	सलैयामाफ
123	बसरियापनवाड़ी	153	भुजपुरा	183	रमपुरानौआबाद	213	सहर्रा
124	बहादुरपुरनौआबाद	154	भूरा	184	रामूपुरा	214	सैठवारा
125	वागौल	155	भदरवारा	185	रानीपुरा	215	सिरमौर
126	विजयपुर	156	भगारी	186	रावतपुराखुर्द	216	सीगौन
127	विजरारी	157	भगौरा	187	रावतपुराखालसा	217	स्यावन
128	व्यारजौ	158	भटेवराखुर्द	188	रिखवाहा	218	सेलाखालसा
129	बिहर	159	भिलौनी	189	लखनियां	219	सोनकपुरा
130	वीहट	160	मरवारी	190	लिधौराखुर्द	220	हैवतपुराखंगारन
131	बुढी	161	मानकी	191	लिलवां	221	हंसला
132	बुड़ेरी	162	मारगपुरा	192	लेटा		
133	बुड़ौरा	163	मवइयां	193	लोधीपुरा		
134	बुधौरा	164	मगरिया	194	लौलारा		
135	वचेवरा	165	महेवा	195	लखौरा		
136	बधौरा	166	मझगवांकलां	196	ललौनी		
137	बगराजन	167	मझगवांखुर्द	197	लड़पुरा		
138	बगवाहा	168	मोहनपुरा	198	लेवा		
139	बमौलिया	169	मौहारी	199	सतौरा		
140	बामौर	170	रावतपुरकलां	200	सरगपुरा		
141	बमनौरा	171	रिछा	201	सिलालपुरा		
142	बड़ेराखुर्द	172	रिछारा	202	सलैयाखालसा		
143	बसरियाजैतपुर	173	रिवई	203	सांधर		
144	बेलाताल	174	रूपनौल	204	सिकन्दरपुरा		
145	विजौरी	175	रूरीकलां	205	सिमरिया		
146	बिनौरा	176	रूरीखुर्द	206	सुखौरा		
147	बिहार	177	रैपुराहरदोनिस्फ	207	संगरपुरा		
148	बुधवारा	178	रगौली	208	शेरगढ		
149	बुड़खेरा	179	रगौलियाबुजुर्ग	209	सतारी		
150	वौरा	180	रजौनी	210	सारंगपुरा		

*(Signature)*

उप-निबन्धक  
कुलपहाड़ (महोबा)

*(Signature)*  
तहसीलदार  
कुलपहाड़

*(Signature)*  
तहसीलदार  
महोबा

*(Signature)*  
उप-निबन्धक  
कुलपहाड़ (महोबा)